राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – नौरंगपुरा

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर – 86/2017

1. मु. ज्यानकी देवी पत्नी झुंथा
2. मानसिंह पुत्र झुंथा
3. घीसाराम पुत्र झुंथा
4. रामेश्वर पुत्र झुंथा
5. गिरधारी पुत्र झुंथा
6. हवासिंह पुत्र झुंथा जाति जाट निवासी सुनारी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. जगमाल पुत्र श्योचन्द नवीरा भूरा
2. कैलाश पुत्र श्योचन्द नवीरा भूरा
3. देशराज पुत्र श्योचन्द नवीरा भूरा
4. गुरूदयाल सिंह पुत्र गणपत
5. छैलूराम पुत्र गणपत
6. प्रभूदयाल पुत्र गणपत
7. कृष्णा देवी पत्नी शहीद श्री नेकीराम पुत्रवधु गणपत
8. नरेन्द्र पुत्र स्व. नेकीराम नवीरा गणपत
9. अमित पुत्र स्व. नेकीराम नवीरा गणपत
10. रणवीर पुत्र स्व. गणपत
11. दयाराम पुत्र स्व. गणपत
12. प्रताप पुत्र स्व. गणपत जाति जाट निवासी सुनारी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. राज0 ग्रामीण बैंक शाखा सेफरागुवार जरिये शाखा प्रबंधक
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सेफरागुवार जरिये शाखा प्रबंधक
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक खातेदारी

रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified

–निर्णय– **दिनांक 25–10–2021**

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08–01–2018 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम सुनारी पटवार हल्का [illegible]या तहसील

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

खेतड़ी में स्थित भूमि हाल ख.नं. 599, 645, 825, 826, 837, 839, 843, 844, 598, 659, 838, 840, 841, 842, 846, 1044/599, 836, 845, 597, 643, 1156/599 के वर्तमान नक्शा सन् 1979–80 को जमाबन्दी में दर्ज रकबा व वास्तविक मौका के अनुसार दुरुस्त किया जाकर ग्राम सुनारी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर ख.नं. 599, 645, 825, 826, 837, 839, 843, 844, 598, 659, 838, 840, 841, 842, 846, 1044/599, 836, 845 कुल किता 18 कुल रकबा 10.02 है. में वादीगण का 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 12 को 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 12 का 1/2 हिस्से का खाता अलग से कायम किया जाकर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा भूमि खसरा नंबर 597, 643, 1156/599 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 4 लगायत 12 के नाम ही दर्ज रहेगी। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/2814 दिनांक 22.10. 2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प नौरंगपुरा में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22–10–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22–10–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–10' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22–10–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–10' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22–10–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–10' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22–10–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–10' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। तदनुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प नौरंगपुरा में दिनांक 23–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner